

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 15.04.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-395/2009 धारा 328/379/411/420 भा0द0वि0 में वारण्टी अभियुक्त नरेश पुत्र मन्नीलाल निवासी चंदनपुर थाना घाटमपुर कानपुर नगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 597/2020 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 में वारण्टी अभियुक्त राकेश पुत्र दरौगा निवासी रहनीयापुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना देवराहट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 05/24 धारा 376/506 भा0द0वि0 में अभियुक्त अजय पुत्र शेषनारायण निवासी तरीबुल्ला कालपी थाना कालपी जनपद जालौन को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 46/2024 धारा 363/366/376/506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त श्यामजी पुत्र रामाधीन निवासी धर्मपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अनी कटियार पुत्र बृजेश उर्फ शैलेन्द्र कटियार निवासी ग्राम रोहिनी थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के पास से नाजायज एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 91/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम मवई मुक्ता थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 10 लीटर कच्ची देशी शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 67/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त विशाल पुत्र श्री प्रेमचन्द्र उम्र 19 वर्ष निवसी ग्राम टोडरपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज के बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 106/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त राजकिशोर पुत्र जगदीश उम्र करीब 29 वर्ष ग्राम हेतपुर थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज के बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 107/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना देवराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों तथा थाना शिवली पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।